कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.08.2025 (संशोधित)

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक 2389/SLSA-83/2025 (Sandeep/Ri) Dated 30.07.2025 के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 30.07.2025 के अनुपालन में मध्यस्थ एवं सुलह समझौता केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर में **14 मध्यस्थ** की नियुक्ति की जानी है। जिसमें उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 के धारा 3 के अनुसार निम्न अर्हता के व्यक्ति पात्र होंगे, जिनके आवेदन पत्र उक्त पद हेतु आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश एवं उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

(2) जिला न्यायालय के स्तर पर जिला न्यायालय व बाह्य न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के साथ विधि व्यवसायी।

(3) ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास कम से कम 15 वर्ष अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित है।

(4) ऐसे व्यक्ति और संस्थाये जो मध्यस्थता में स्वयं विशेषज्ञ हो और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त हो।

उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली 2021 के धारा 5 के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो, विकृत-चित हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी अपराध में आरोप विरचित किये गये हो या किसी दण्ड न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो, वह पात्र नहीं होंगे।

इस प्रकार अर्ह एवं इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन दिनांक **04.08.2025** को **सांय 4:30** बजे तक अपना सम्पूर्ण विवरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलन्दशहर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

पात्र आवेदकों का साक्षात्कार समिति के समक्ष दिनांक **06.08.2025** को **सांय 04:30** बजे अधोहस्ताक्षरी/समिति के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र कुमार-III, विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), बुलन्दशहर के विश्राम कक्ष में लिया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थिति हेतु कोई यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।

उक्त विज्ञप्ति की एक-एक प्रति अध्यक्ष/सचिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलन्दशहर व अध्यक्ष/सचिव सिविल बार एसोसिएशन बुलन्दशहर तथा बाह्य न्यायालय खुर्जा व अनूपशहर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव को प्रेषित की जावे तथा उक्त विज्ञप्ति की प्रति डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलन्दशहर, सिविल बार एसोसिएशन बुलन्दशहर, सिविल न्यायालय बुलन्दशहर, राजस्व न्यायालय बुलन्दशहर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे तथा उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की वेब साईट **www.districts.ecourts.gov.in/bulandshahr** पर अपलोड किये जाने हेतु सिस्टम ऑफिसर को प्रेषित की जावे।

नोटः- उक्त नियत तिथि दिनांक **04.08.2025** समय **4:30** बजे सांय के पश्चात् किसी भी आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अपूर्ण आवेदन पत्र या हस्ताक्षरविहीन आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

(धीरेन्द्र कुमार-III)
अध्यक्ष, चयन समिति/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)
बुलन्दशहर।
01.08.2025

Seen, approved, Sec D.L.S.A to do the needful

1.8.25

जिला जज/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बुलन्दशहर

अनुसूची--एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र, जिला बुलन्दशहर
(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

1. नामः
2. पिता/पति का नामः
3. पता:
   (क) कार्यालयः
   (ख) निवासः
4. दूरभाष संख्याः
   (क) कार्यालयः
   (ख) निवासः
5. मोबाइल संख्याः
   (क) कार्यालयः
   (ख) निवासः
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभवः
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई होः
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई होः
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
    (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं ....एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं................................. न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूं।
मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षरः

दिनांकः

Seen, Approved
1.8.25
जिला जज/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बुलन्दशहर